E. Tender .Up.nic. in

कार्यालय

अधिषासी अभियन्ता

नलकूप निर्माण खण्ड वाराणसी

पत्रांक 712 /न0नि0ख0वा0/ई–टेन्डर/ दिनांक 28.06. 2018

ई–टेण्डर के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यो की अल्पकालीन निविदा संख्या 02/अ0अ0/न0नि0ख0वा0/2018–19/ के सम्बन्ध में ।

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेष सरकार की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु आनलाईन निविदा http//e-tender .up.nic.in के माध्यम से सिचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों /प्रतिष्ठानों से दिनांक **23.07.2018** दिन सोमवार को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो अधिषासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड वाराणसी के कार्यालय में उनके अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी एवं निविदा समिति के द्वारा दिनांक 24.07.2018 को अपरान्ह 3.00 आनलाईन खोली जायेगी । बिड दिनांक 08.07.2018 समय 3.00 अपरान्ह से डाउनलोड /अपलोड किया जा सकता है। कार्यालय बन्द होने या छुटटी होने की दषा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी ।

तालिका संख्या –01

क0 सं0/ लाट सं0	कार्य का विवरण	योजना का नाम	परियोजना का नाम/नलकूपों की संख्या	अनुमानित लागत दर (लाख रू0 में यूनिट में)	धरोहर धनराषि (रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में +)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पंजीकृत श्रेणी
1	**2**		**3**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
खण्ड के नियत्रणाधीन निम्नलिखित जनपदों में सिचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1.0 क्यूसेक क्षमता के राजकीय नलकूपों के छिद्रण का कार्य :–								
1	**वाराणसी**	डा0 राम मनोहर लोहिया 2000 नलकूप परियोजना सामान्य	**10 अद्द**	**बिल आफ क्वान्टिटी के अनुसार**	**31500.00**	**300 + 18** % G.S.T	**60 दिवस**	**"ए" श्रेणी**
2		(विषेष धटक) एस0सी0पी0	**03 अद्द**	**तदैव**	**9450.00**	**300 + 18** % G.S.T	**45 दिवस**	**"ए" श्रेणी**
3	**चन्दौली**	डा0 राम मनोहर लोहिया 2000 नलकूप परियोजना सामान्य	**11 अद्द**	**तदैव**	**34650.00**	**300 + 18** % G.S.T	**60 दिवस**	**"ए" श्रेणी**
4		(विषेष धटक) एस0सी0पी0	**03 अद्द**	**तदैव**	**9450.00**	**300 + 18** % G.S.T	**45 दिवस**	**"ए" श्रेणी**
5	**जौनपुर**	डा0 राम मनोहर लोहिया 2000 नलकूप परियोजना सामान्य	**09 अद्द**	**तदैव**	**34020.00**	**300 + 18** % G.S.T	**60 दिवस**	**"ए" श्रेणी**
6		डा0 राम मनोहर लोहिया 2000 नलकूप परियोजना सामान्य	**09 अद्द**	**तदैव**	**34020.00**	**300 + 18** % G.S.T	**60 दिवस**	**"ए" श्रेणी**
7		(विषेष धटक) एस0सी0पी0	**04 अद्द**	**तदैव**	**15120.00**	**300 + 18** % G.S.T	**45 दिवस**	**"ए" श्रेणी**
8	**गाजीपुर**	डा0 राम मनोहर लोहिया 2000 नलकूप परियोजना सामान्य	**09 अद्द**	**तदैव**	**34020.00**	**300 + 18** % G.S.T	**60 दिवस**	**"ए" श्रेणी**
9		डा0 राम मनोहर लोहिया 2000 नलकूप परियोजना सामान्य	**09 अद्द**	**तदैव**	**34020.00**	**300 + 18** % G.S.T	**60 दिवस**	**"ए" श्रेणी**
10		(विषेष धटक) एस0सी0पी0	**05 अद्द**	**तदैव**	**18900.00**	**300 + 18** % G.S.T	**45 दिवस**	**"ए" श्रेणी**
11	**मऊ**	डा0 राम मनोहर लोहिया 2000 नलकूप परियोजना सामान्य	**03 अद्द**	**तदैव**	**13230.00**	**300 + 18** % G.S.T	**45 दिवस**	**"ए" श्रेणी**
12		(विषेष धटक) एस0सी0पी0	**03 अद्द**	**तदैव**	**13230.00**	**300 + 18** % G.S.T	**45 दिवस**	**"ए" श्रेणी**

13	आजमगड	डा0 राम मनोहर लोहिया 2000 नलकूप परियोजना सामान्य	11 अद्द	तदैव	48510.00	300 + 18 % G.S.T	60 दिवस	"ए" श्रेणी
14		(विषेष धटक) एस0सी0पी0	03 अद्द	तदैव	13230.00	300 + 18 % G.S.T	45 दिवस	"ए" श्रेणी
15	बलिया	डा0 राम मनोहर लोहिया 2000 नलकूप परियोजना सामान्य	05 अद्द	तदैव	12600.00	300 + 18 % G.S.T	45 दिवस	"ए" श्रेणी
16		(विषेष धटक) एस0सी0पी0	05 अद्द	तदैव	12600.00	300 + 18 % G.S.T	45 दिवस	"ए" श्रेणी

नोटः– छिद्रण स्थल एव ग्राम व विकास खण्ड का नाम जिला समिति के अनुमोदनोपरान्त (अनुबन्ध गठन के पूर्व) उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

नियम एवं शर्तेः–

1. यह निविदा /बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की बेबसाइट http//e-tender.up.nic.in **सूचना विभाग की बेबसाइट** http// information.up.nic.in **तथा सिचाई विभाग की पर** http//irrigation.up.nic.in **भी उपलब्ध है ।**
2. यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र बेबसाइट http//e-tender.up.nic.in **पर उपलब्ध है । निविदा प्रपत्र के साथ** सिचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1) है हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2) स्वघोषणा शपथ पत्र (IDT-3) के समस्त अभिलेख एव क्रम संख्या–24 में प्रदर्षित अन्य अभिलेख की स्कैन्ड प्रति बेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा निविदा खोलने के समय उपरोक्त समस्त अभिलेख की मूल प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
3. निविदा की विस्तृत शर्त निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी ।
4. निविदाओं की टेन्डर सेल धनराषि अधिषासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड वाराणसी के पास डिमाण्ड ड्राफ्ट **तथा** IDT-1, IDT-2, IDT-3 निर्धारित श्रेणी का प्रपत्र कार्यालय अधिषासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड वाराणसी के कार्यालय में दिनांक 24.07.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक जमा करने होगे, अन्यथा उनकी बिड को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नही किया जायेगा। उपरोक्त प्रमाण पत्र–पत्रों एवं अन्य सूचनाओं की स्कैन्ड कापी भी बिड के साथ ई–टेन्डर पोर्टल पर आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
5. धरोहर धनराषि राष्ट्रीयकृत बैक के द्वारा निर्गत केवल एफ0डी0आर0 के रूप में अधिषासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड वाराणसी उ0प्र0 के नाम /पक्ष में बंधक तथा वाराणसी के नाम देय होना अनिवार्य है। जिसकी स्कैन्ड कापी आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं दिनांक 24.07.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक मूल प्रति /एफ0डी0आर0 उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी ।
6. दरें स्वीकृत होने पर अनुबन्ध करने के समय धरोहर धनराषि को समायोजित करते हुए कार्य की लागत की धनराषि के 10% जमानत धनराषि जो अधिषासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड वाराणसी के नाम बन्धक होगी। जो राष्ट्रीय पत्र / राष्ट्रीयकृत बैक की एफ0डी0आर0 के रूप में स्वीकार की जायेगी ।
7. प्रत्येक निविदाता को बिड के साथ 100.00 के नान जुडिषियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये की रसीद टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरे 90 दिवस तक मान्य होगी । इसके पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराषि जप्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड कापी आनलाईन निविदा के साथ अपलोड करनी होगी अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प तथा परफारमेन्स सिक्योरिटी भी जमा करना होगा ।
8. कार्यस्थल की आवष्यकतानुसार कार्य की मात्रा धटाई /बढाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार को कोई क्लेम मान्य नही होगा ।
9. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वंय प्राप्त करनी होगी, एवं कोई भी अन्य जानकारी कार्यालय अधिषसी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड वाराणसी उ0 प्र0 से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है ।
10. निविदादाता द्वारा निविदा डालते समय प्रकिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिग अथवा कियी अन्य कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
11. इस निविदा को पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा ।
12. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो इस निविदा प्रकिया में भाग नही ले सकेगा ।

13. राज्य बार कौसिल में पृजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रकिया में भाग न ले सकेगे। अनुबन्ध /पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संन्तुष्टि की दषा में ऐसे अनुबन्ध पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा संकारण आदेष प्रस्तावित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
14. यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रकिया के विरूद्व अनुबन्ध कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रष्नगत निविदादाता के न्यूनतम बेाली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है ।
15. यह संज्ञान में आने पर की कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रकिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है ।
16. विषिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने का स्थान व तिथि में यदि कोई परिर्वतन होता है तो इसकी सूचना निविदा जमा होने के तीन दिवस पूर्व अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्षित कर दी जायेगी ।
17. चरित्र प्रमाण पत्र/हैसियत प्रमाण व स्वधोषणा प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, टर्न ओवर व रजिस्ट्रेषन के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिये जायेंगे तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा ।
18. प्राप्त निविदा प्रपत्र में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने यथा निर्धारित प्रतिभूति धनराषि ठीक–ठीक उपलब्ध करायी है, या नही इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरे तुलनात्मक विवरण में अंकित नही की जायेगी।
19. विभिन्न करो की कटौती नियमानुसार बीजक से की जायेगी ।
20. टी0ए0सी/आडिट अथवा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा निर्धरित वसूली सम्बन्धित/फर्म द्वारा वहन की जायेगी
21. शासनादेष संख्या 2136 (1)15–27–सी–9 दिनांक 17.08.2015 के अनुसार ठेकेदार को अनुबन्ध गठन से पूर्व इस आषय का प्रमाण पत्र देना होगा, कि इनके द्वारा अनुबन्ध को सबलेट नही किया जायेगा। धोषणा–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी ।
22. धनावंटन एवं कार्य की आकस्मिकता के आधार पर ही अनुबन्ध का गठन का कार्य कराया जायेगा ।
23. निविदा से सम्बन्धित विस्तृत एवं अन्य जानकारी अधिषासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड वाराणसी से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
24. निविदादाताओं की निम्न जानकारी की स्कैन्ड प्रतिलिपि की बिड के साथ ई–टेन्डरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य ,तथा उसकी मूल प्रतियॉ दिनांक 24.07.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय अधिषासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड वाराणसी में जमा करना अनिवार्य होगा ।

क. वै़ध पंजीयन की प्रति।

ख. जी0 एस0 टी0 एन0 तथा पैनकार्ड की प्रति ।

ग. अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति ।

ध. 100.00 के नान जुडिषियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये की रसीद टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरे 90 दिवस तक मान्य होगी ।

25. सभी अभिलेख की मूल प्रति दिनांक 24.07.2018 को सायं 3.00 तक जमा करना अनिवार्य होगा ।
26. टेन्डर दिनांक 24.07.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे समिति द्वारा खेाला जायेगा ।

तालिका संख्या–02

कमांक	विवरण	तिथि	समय
1	अधिसूचना	07.07.2018	––
2	निविदा डाउनलोड करने की तिथि	08.07.2018	3.00 बजे अपरान्ह
3	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	23.07.2018	3.00 बजे अपरान्ह
4	तकनिकी निविदा खुलने की तिथि	24.07.2018	3.00 बजे अपरान्ह
5	वित्तीय निविदा खुलने की तिथि	26.07.2018	3.00 बजे अपरान्ह

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड वाराणसी

Technical Terms & Conditions (Part B)

1. निविदादाता को विगत वर्षो में 1.00 क्यूसेक अथवा उससे अधिक क्षमता के गहरे नलकूपों के छिद्रण का अनुभव होना चाहिए, अथवा निविदादाता को 1.00 क्यूसेक अथवा उससे अधिक क्षमता के ड्रीलिंग मषीन स्वामित्व वाले व्यक्ति से 100 रू. के स्टैम्प पेपर पर कार्य पूर्ण करने हेतु मषीनों के उपयोग एवं उपलब्धता की वचन बद्वता प्रस्तुत करनी होगी ।

   निविदा दाता को निम्न अभिलेख की स्कैण्ड प्रति टेण्डर के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

   (क) निविदादाता के स्वंय कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र ।

   (ख) 1.00 क्यूसेक अथवा उससे अधिक क्षमता के ड्रीलिंग मषीन के स्वामित्व वाले व्यक्ति का रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर कार्य को पूर्ण करने में मषीनों के पूर्ण उपयोग एव उपलब्धता की वचन वद्वता का हलफनामा संलग्न करना होगा । इस प्रमाण पत्र के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा । कार्य को पूर्ण कराने का पूर्ण उत्तर दायित्व निविदा दाता का होगा।

2. छिद्रण का स्थल (बिन्दू) फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा दिया जायेगा।
3. छिद्रण कार्य प्रारम्भ करने से लेकर ड्रीलिंग लोरिंग, प्री ग्रेवेल, फीडिंग, वाषिंग कार्य तथा स्थल की सफाई व लेवलिंग का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। समय से कार्य न पूर्ण करने की दषा में ठेकेदार के बिल से नियमानुसार कटौति की जायेगी ।
4. छिद्रण का कार्य प्रारम्भ होने पर निविदादाता को प्रत्येक 20 फिट का स्ट्रेटा अलग–अलग एकत्र करके स्ट्रेटा बाक्स में रखना होगा। पर्याप्त स्ट्रेटा (लगभग 40 मी0) मिलने पर एवं लागिंग के पश्चात निविदादाता को सहायक अभियन्ता /अवर अभियन्ता के माध्यम से अधिषासी अभियन्ता से स्ट्रेटा का अनुमोदन कराना होगा । स्ट्रेटा अनुमोदन के उपरान्त विभाग द्वारा प्रस्तावित एसेम्बली को लोअर करना होगा ।
5. छिद्रण व लोरिंग के कार्य में प्रयुक्त होने वाली समस्त टी0एण्डपी0 का प्रबन्ध निविदादाता को ही करना होगा ।
6. लोवरिंग तथा प्री–ग्रेविल फिडिंग का सम्पूर्ण कार्य सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता की उपस्थिति में सम्पन्न होगा । लोवरिंग हेतु आवष्यक एम0एस0 पाइप असेम्बली साइज 300/150 या 350/200 मिमी0 अथवा अधिषासी अभियन्ता द्वारा अनुमोदित एसेम्बली एवं पी0–प्रेविल तथा डीजल निविदादाता को विभाग साइट पर उपलब्ध कराया जायेगा ।
7. निविदादाता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में अवर अभियन्ता द्वारा पाइप एसेम्बली एवं पी–ग्रेविल की मापी माप पुस्तिका में अकित की जायेगी, जिसको सहायक अभियन्ता द्वारा चेक किया जायेगा, तथा मापी पर सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर होगे ।
8. निविदादाता को नलकूप के सफल विकसन के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। विकसन के पष्चात नलकूप का निकास 1.00 क्यूसेक एवं स्पेसिफिक यील्ड(Yeild) 1000 जी0पी0एच0 प्रति फिट दबाव /डिप्रेषन (Depression) होनी चाहिए।
9. लोंरिंग के समय अथवा बाद में लापरवाही परिलक्षित होने की स्थिति में नलकूप के असफल होने पर छिद्रण का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा तथा लोरिंग किये गये पाइप एसेम्बली को उखाडे का व्यय भी फर्म को वहन करना होगा ।
10. पर्याप्त स्ट्रेटा न मिलने के कारण बोर के परित्याग होने पर लांगिग का व्यय विभाग द्वारा वहन किया जायेगा तथा छिद्रण का भुगतान अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल वाराणसी द्वारा अनुमोदित दर का 40% की दर से अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति के उपरान्त किया जायेगा । परित्याग बोर को उपरी सतह तक मिटटी से भरना अनिवार्य होगा ।

11. फर्म द्वारा नलकूप के विकसन का कार्य उचित क्षमता के एयर कम्प्रेषर एवं ओ0पी0यूनिट से इंजीनियर इन्चार्ज की उपस्थिति में किया जायेगा, तथा सफल विकसन के पष्चात इंजीनियर इन्चार्ज की उपस्थिति में निर्मित नलकूप को सम्बन्धित नलकूप खण्ड को विभागीय मानको एवं स्टैडिग आदेषों के अनुसार हस्तानान्तरित करना होगा ।

12. कार्य समाप्त करने के पष्चात कार्यस्थल को समतल करके मूलरूप में करना होगा ।

13. उक्त कार्य/ अनुबन्ध में यदि कोई विवाद उत्नन्न होता है, तो अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल वाराणसी का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा ।

14. टी0एस0सी0 जांच एजेन्सी अथवा उच्चाधिकारियों के द्वारा यदि कोई पेनाल्टी किए गये कार्यो के विरूद्व प्राविधानित की जाती है तो वो ठेकेदार के भुगतान हो जाने की दषा में उसके लम्बित अन्य भुगतानों से कटौती कर समायोजित की

15. नलकूप के छिद्रण में 600 फीट लोंरिग तक छिद्रण में 9 मीटर एवं 600 फीट से अधिक लोरिग पर छिद्रण में 12 मीटर का मार्जिग अनुमन्य होगा । जिसका भुगतान अनुबन्ध की दरो से देय होगा ।

16. उक्त कार्य सिचाई विभाग के द्वारा निर्धारित मानको एवं समय–समय पर निर्गत विभागी; Standing order से दिये गये आदेषों का अनुपालन करते हुए इजीनियर इन्चार्ज की देखरेख में सम्पन्न कराया जायेगा।

17. कार्य का भुगतान अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल वाराणसी द्वारा अनुमोदित की गयी दर पर किया जायेगा ।

18. यदि लोरिग के समय एसेम्बली बोर में गिर जाती है तो ठेकेदार को पूरी एसेम्बली को अपने स्वंय के खर्च पर निकालना पडेगा । यदि एसेम्बली नही निकल पाती है तब पूरी एसेम्बली की कीमत ठेकदार को विभागीय दर से विभाग में जमा करनी होगी तथा छिद्रण का कोई भुगतान भी नही किया जायेगा ।

19. कार्यसथल पर कार्य सम्पन्न कराते समय यंत्र–संयत्र तथा कार्यरत कुषल/अकुषल श्रमिको की सुरक्षा का दायित्व पूर्णतया निविदादाता का होगा । विभाग किसी प्रकार की यंत्र–संयत्र में हुयी टूट–फुट अथवा श्रमिको के साथ हुई किसी भी प्राकर की आकस्मिक धटना जन–धन की हानि हेतु उत्तरदायी नही होगा ।

20. नलकूप के छिद्रण एवं विकसन कार्य हेतु आवष्यक लुब्रीकेन्ट की व्यवस्था ठेकेदार/फर्म द्वारा की जायेगी ।

21. नलकूप की लोवरिंग एवं छिद्रण में केवल 15ः तक का अन्तर अनुमन्य है छिद्रण करते समय स्ट्रेटा न मिलने के कारण अगर छिद्रण की गहराई विभागीय आदेषो से बढवायी जाती है । तथा अधिक छिद्रण करने पर भी अतिरिक्त स्ट्रेटा प्राप्त नही होता है तो ऐसी परिस्थिति में यदि उपरी स्ट्रेटा में ही लोअरिंग की जाती है, एवं नलकूप की लागिंग करायी जाती है तो लागिंग अवधि को देखते हुये अतिरिक्त छिद्रण का भुगतान अनुमोदित दरों के 50% दरों पर किया जायेगा

अधिषासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड वाराणसी

विषेष नियम एवं शर्ते :—

1. निविदादाता को निविदा डालने के लिए बेबसाइट http//e-tender.up.nic.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा । निविदा आनलाईन डालने हेतु निविदाआताओं के पास किसी डिजीटल सिग्नेचर सटिर्फिकेट अथॉरिटी द्वारा निर्गत डिजिटल सटिर्फिकेट होना अनिवार्य है।
2. निविदादाता को निविदा में दी गई शर्तों को निविदा प्रेषित करने से पूर्व अवष्य देख ले ।
3. सषर्त निविदाए स्वीकार नही की जायेगी ।
4. अनुबन्ध करने से पूर्व निविदादाता को कुल कार्य की लागत का 10ः जमानत धनराषि के रूप में देना होगा । अनुबन्ध करते समय धरोहर धनराषि को जमानत धनराषि में समायोजित कर लिया जायेगा ।
5. अनुबन्ध करने से पूर्व 10ः जमानत धनराषि पर नगद जमा की गई धनराषि पर रूपया 125/— (एक सौ पच्चीस रूपया मात्र) प्रति हजार की दर से एवं एफ0डी0आर0 /राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमा की गई राषि पर 70/— (सत्तर रूपये मात्र) प्रति हजार की दर से स्टाम्प ड्यूटी जमा करना होगा, जो स्टाम्प पेपर के रूप में मान्य होगी ।
6. टेक्निकल आडिट सेल अथवा उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के समय यदि किसी प्रकार की कटौति प्रस्तावित की जाती है तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी ।
7. ठेकेदार से कराये गये कार्य का भुगतान करते समय बीजक से आयकर /जी0एस0टी0 आदि की कटौति नियमानुसार की जायेगी ।
8. प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ रू0 100 (एक सौ रूपया मात्र) के स्टाम्प पेपर पर एक रूपये का हस्ताक्षर युक्त रसीदी टिकट लगाकर यह अंकित करना अनिवार्य होगा के निविदित दरें 90 दिन तक मान्य होगा ।
9. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा ।
10. कार्य की मात्रा धट, बढ सकती है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त क्लेम मान्य नही होगा। कार्य संपादन के दौरान यदि कार्य के मानको अथवा विषिष्टियों में कोई परिर्वतन होता है तो उस कार्य हेतु ठेकेदार को किसी प्रकार से कोई अलग भुगतान नही किया जायेगा ।
11. निविदादाता का आयकर एवं वाणिज्य कर /जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेषन आवष्यक है इसका प्रमाणक निविदादाता को प्रस्तुत करना होगा ।
12. निविदाता द्वारा निविदित दरों पर किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क विभाग द्वारा देय नही होगा ।
13. केवल ए श्रेणी के विभाग में पंजीकृत फर्म /ठेकेदार निविदा डालने के अधिकृत होगे ।

अधिषासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड वाराणसी